महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद् की ४१वीं बैठक

दिनांक ३० अप्रेल, २००९ का कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की 41वीं बैठक दिनांक 30 अप्रेल, 2009 को पूर्वाह्न 11.00 बजे बृहस्पति भवन स्थित सभागार में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

उपस्थिति :

01. प्रो. भगीरथ सिंह, कुलपति, अध्यक्ष
02. प्रो. एम.एल.छीपा, संकायाध्यक्ष- स्नातकोत्तर अध्ययन, संयोजक- अर्थशास्त्र अध्ययन बोर्ड, एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र, म.द.स.विश्वविद्यालय,अजमेर
03. प्रो.के.के. शर्मा, संकायाध्यक्ष (महाविद्यालय) संयोजक- प्राणिशास्त्र अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष- प्राणीशास्त्र, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
04. प्रो.आर.पी.जोशी, संकायाध्यक्ष (समाज विज्ञान), संयोजक- राजनीति शास्त्र एवं लोक प्रशासन अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष- राजनीतिशास्त्र एवं लोक प्रशासन, म.द.स.विश्वविद्यालय, अजमेर
05. प्रो.बी.पी. सारस्वत, डीन (छात्र कल्याण), संयोजक- ई.ए.एफ.एम. अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष- वाणिज्य, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
06. प्रो. मनोज कुमार, संकायाध्यक्ष (प्रबन्ध अध्ययन), विभागाध्यक्ष- प्रबन्ध अध्ययन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
07. प्रो.सर्वेश पालरिया, संकायाध्यक्ष (विज्ञान संकाय), एवं विभागाध्यक्ष- रिमोट सेंसिंग एवं जियो इन्फॉरमेटिक्स, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
08. श्री शेरसिंह दोचाणिया, संकायाध्यक्ष (वाणिज्य संकाय) प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
09. डॉ. वी.जी. जाधव, संकायाध्यक्ष (शिक्षा), संयोजक-शिक्षा अध्ययन बोर्ड, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
10. श्री मदन लाल पीतलिया, संकायाध्यक्ष (विधि संकाय), राजकीय विधि महाविद्यालय, भीलवाड़ा
11. डॉ. विमला सिंहल, संयोजक- हिन्दी अध्ययन बोर्ड, एम एल वी कॉलेज, भीलवाड़ा
12. डॉ. (श्रीमती) फिरोज बेग, संयोजक- उर्दू, फारसी, अरबी अध्ययन बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
13. डॉ. ए.के. मिश्रा, संयोजक- भूगोल अध्ययन बोर्ड, डी.आर.जे. राजकीय महाविद्यालय, जालौर
14. प्रो.के.जी. ओझा, संयोजक- रसायनशास्त्र अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष -रसायनशास्त्र, अनुप्रयुक्त रसायन, भैषेजिक रसायनशास्त्र, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
15. प्रो.एस.के. माहना, संयोजक- वनस्पति शास्त्र अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष -वनस्पतिशास्त्र, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
16. श्रीमती इन्दुबाला बाफना, संयोजक- गणित अध्ययन बोर्ड, एमएलवी राज. महा., भीलवाड़ा
17. प्रो. जी.के. कोहली, संयोजक, खाद्य एवं पोषण अध्ययन बोर्ड, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
18. डॉ. नीरज भार्गव, संयोजक-कम्प्यूटर साइंस अध्ययन बोर्ड, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
19. श्री एन.आर. देवल, संयोजक- व्यवसायिक प्रशासन अध्ययन बोर्ड, प्राचार्य, राज. बांगड महा., पाली
20. प्रो. के एल शर्मा, संयोजक-विधि अध्ययन बोर्ड, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
21. प्रो. के.सी. शर्मा, विभागाध्यक्ष- पर्यावरण अध्ययन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
22. प्रो.लक्ष्मी ठाकुर, विभागाध्यक्ष -जनसंख्या अध्ययन, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
23. प्रो. एस.एन.सिंह, कार्यवाहक विभागाध्यक्ष- इतिहास विभाग, म.द.स.विश्वविद्यालय,अजमेर
24. श्रीमती राजेश्वरी माथुर, प्राचार्या, राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़
25. प्रो. एल.सी. खत्री, भूगोल विभाग, प्रतिनिधि, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
26. श्री बी.एल. सुनारिया, कुलसचिव- सदस्य सचिव, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

विशेष आमंत्रित

01. डॉ0 जगराम मीणा, परीक्षा नियन्त्रक, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
02. डॉ0 प्रकाश पंकज- उपकुलसचिव (शैक्ष.-।) म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
03. श्री आर. के. व्यास- उपकुलसचिव (शैक्ष.-।।) म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
04. श्री जी.एन. माहेश्वरी- सहा. कुलसचिव (शैक्ष.-।।।) म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
05. डॉ0 रवीन्द्र भारती, प्रशासनिक सचिव-कुलपति, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

<u>निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके</u>

01. डॉ. शैलबाला मिश्रा, संयोजक- अंग्रेजी अध्ययन बोर्ड, एम.एल.वी. कॉलेज, भीलवाड़ा
02. डॉ. राम जायसवाल, संयोजक-ड्रॉइंग एण्ड पेन्टिंग अध्ययन बोर्ड, रामगंज, अजमेर
03. श्रीमती अंजना भार्गव, संयोजक-संगीत अध्ययन बोर्ड, सावित्री कन्या महाविद्यालय,
04. डॉ. एन.के. बीजावत, संयोजक- समाजशास्त्र अध्ययन बोर्ड, एस.डी. राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा
05. श्रीमती नयन तारा माथुर, संयोजक- गृह विज्ञान, एस एम एम गर्ल्स कॉलेज, भीलवाड़ा
06. डॉ. सी एल गुप्ता, संयोजक, ए.बी.एस.टी अध्ययन बोर्ड, राज. कन्या महाविद्यालय, अजमेर
07. श्री महावीर सिंह (सम्भागीय आयुक्त) एवं, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
08. डॉ. शांतीलाल बिहाणी, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, शाहपुरा (भीलवाड़ा)
09. डॉ. एन.एल. शर्मा, प्राचार्य, के.डी.जैन कन्या महाविद्यालय, किशनगढ़
10. श्री विजय कुमार वैद्य, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, माण्डलगढ़ (भीलवाड़ा)
11. श्रीमती फूलकंवर काछलीवाल, संयोजक इतिहास अध्ययन बोर्ड, सावित्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर
12. श्री पारस राज धनेटा, संयोजक-भौतिक शास्त्र अध्ययन बोर्ड, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, जालौर।
13. डॉ.एन.एस.शेखावत, विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र विभाग, प्रतिनिधि, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
14. प्रो. बी के श्रीवास्तव, भौतिकशास्त्र, प्रतिनिधि, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
15. निदेशक, आयुक्त महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। विद्या परिषद् की इस बैठक में उपस्थित हुए नए सदस्यों का परिचय कराया गया। विद्या परिषद् के नए सदस्य-सचिव एवं कुलसचिव श्री बी.एल.सुनारिया का परिचय हुआ।

कुलपति महोदय ने आशा व्यक्त की कि, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और शैक्षणेत्तर गतिविधियों में चहुँमुखी विकास के लिए विद्या परिषद् के सभी सदस्य सहयोग प्रदान करें। तत्पश्चात्, बैठक की कार्यसूची पर औपचारिक विचार-विमर्श आरम्भ हुआ।

मद	**विवरण**	**अनुभाग/ विभाग**
मद सं. 1	विद्या परिषद् की दिनांक 31-01-2009 को सम्पन्न हुई 39वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना। उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्र. एफ-13(39)/शैक्षणिक-I/ मदसविवि/2009/10306-51 दिनांक 10 फरवरी, 2009 को प्रेषित की गई थी।	**शैक्षणिक-।**
निर्णय	**विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 31.01.2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।**	
मद सं. 2	दिनांक 31-01-2009 को सम्पन्न विद्या परिषद् की 39वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-1)**	**शैक्षणिक-।**
निर्णय	**विद्या परिषद् की दिनांक 31 जनवरी, 2009 को सम्पन्न हुई 39वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन**	

	कर अनुमोदन प्रदान किया गया।	
मद सं.3 **निर्णय**	विद्या परिषद् की दिनांक 01-03-2009 को सम्पन्न हुई 40वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना। उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्र. एफ-13(40)/शैक्षणिक-I/मदसविवि/2009/14315-64 दिनांक 17 मार्च, 2009 को प्रेषित की गई थी। **विद्या परिषद की बैठक दिनांक 01.03.2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।**	**शैक्षणिक-।**
मद सं.4 **निर्णय**	दिनांक 01-03-2009 को सम्पन्न विद्या परिषद् की 40वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना। (**अनुपालना रिपोर्ट संलग्न)। (कार्यसूची का परिशिष्ट-2)** **विद्या परिषद् की दिनांक 01 मार्च, 2009 को सम्पन्न हुई 40वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया।**	**शैक्षणिक-।**
मद सं.5 **निर्णय**	भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के महासचिव से प्राप्त पत्र क्रमांक MEET/83AM/GS/2008 दिनांक February 27,2009 द्वारा सूचित भारतीय विश्वविद्यालय संघ की साधारण सभा के निम्नांकित निर्णय पर विचार करना :- **Choice Based Credit System** : Many Universities have introduced the Choice Base Credit System. It may be considered that credits could be earned from other sister Universities which would be recognized by the parent Universities for Conferment of the Degree. This would mean resource sharing of facilities and would give an opportunity to students to study from larger range of teaching programmes available in the country. The quality of education would also then perhaps enhance. The General Body resolved that there should be consideration for compatability of syllabi for implementation of choice based credit transfer system. **निर्णय संख्या 28 में वर्णित समिति इस पर विचार करे।**	**शैक्षणिक-।।।**
मद सं.6	विद्या परिषद की निर्णय सं.17 दिनांक 31.01.2009 के प्रावधानान्तर्गत गठित निम्नांकित अध्ययन बोर्डों की उनके नाम के सम्मुख वर्णित दिनांक को सम्पन्न बैठक की अनुशंषाओं पर विचार करना :-	**शैक्षणिक-।।।**

क्रम सं	**संकाय का नाम**	**अध्ययन बोर्ड का नाम**	**बैठक की दिनांक**	**परिशिष्ट एवं पृष्ठ सं.**
01	**कला संकाय**	1. हिन्दी	16.04.09	3
		2. उर्दू, अरेबिक, पर्शियन	06.04.09	4
		3. अँग्रेजी	04.04.09	5
		4. संस्कृत	04.04.09	6
02	**ललितकला**	1. ड्रॉइंग एण्ड पेन्टिंग	06.04.09	7

		संकाय	2. संगीत	08.04.09	8
	03	**समाजविज्ञान संकाय**	1.इतिहास	बैठक नहीं हुई	
			2.समाजशास्त्र	09.04.09 23.04.09	9
			3.अर्थशास्त्र	11.04.09 20.04.09	10
			4.पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन	11.04.09	11
			5.राजनीति शास्त्र	11.04.09	12
			6.भूगोल	08.04.09	13
	04	**विज्ञान संकाय**	1.भौतिकशास्त्र	01.04.09 22.04.09	14
			2.रसायनशास्त्र	11.04.09 16.04.09	15
			3.वनस्पतिशास्त्र	13.04.09	16
			4.प्राणिशास्त्र	02.04.09	17
			5.गणित	13.04.09	18
			6.गृह विज्ञान	13.04.09	19
			7.फूड एण्ड न्यूट्रिशन	02.04.09	20
			8.कम्प्यूटर साइंस एण्ड इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी	15.04.09	21
	05	**वाणिज्य संकाय**	1.लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी	15.04.09	22
			2. व्यावसायिक प्रशासन	15.04.09	23
			3.आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध	13.04.09	24
	06	**प्रबन्ध अध्ययन**	1. प्रबन्ध अध्ययन	31.03.09	25
	07	**विधि संकाय**	1. विधि	30.03.09 09.04.09 16.04.09	26
निर्णय	**विद्या परिषद् की अगली बैठक में विचार किया जाए।**				
मद सं.7	निम्नांकित पाठ्यक्रम समितियों की उनके नाम के सम्मुख वर्णित दिनांक को सम्पन्न बैठक की अनुशंषाओं पर विचार करना :-				**शैक्षणिक-।।।**

क्रम सं0	**संकाय का नाम**	**पाठ्यक्रम समितियों का नाम**	**बैठक की दिनांक**	**परिशिष्ट एवं पृष्ठ सं.**
01	**कला संकाय**	सिन्धी	06.04.09	27
		जीवन विज्ञान एवं जैन दर्शन	08.04.09	28

		दर्शनशास्त्र	08.04.09	29	
		राजस्थानी भाषा	21.04.09	30	
02	**समाजविज्ञान संकाय**	मनोविज्ञान	20.04.09	31	
		जनसंख्या अध्ययन	18.04.09	32	
		व्यावसायिक अर्थशास्त्र	बैठक नहीं हुई		
03	**विज्ञान संकाय**	सूक्ष्म जैविकी	09.04.09	33	
		पर्यावरणीय विज्ञान	31.03.09	34	
		रिमोट सेसिंग एण्ड जियोइनफोरमैटिक्स	01.04.2009	35	
		कम्प्यूटर एप्लीकेशन	02.04.09	36	
		अनुप्रयुक्त रसायन शास्त्र	04.04.09	37	
		भेषजकीय रसायन शास्त्र	04.04.09	38	
		भूगर्भशास्त्र	13.04.09	39	
		बायोटेक्नोलॉजी	13.04.09	40	
04	**प्रबन्ध अध्ययन**	उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय प्रबंध	31.03.09	41	
05	**शिक्षा संकाय**	शिक्षा	30.03.09	42	
		शारीरिक शिक्षा	30.03.09 11.04.09	43	
09	**वैदिक अध्ययन संकाय**	योग एवं मानव चेतना	31.03.09	44	

निर्णय **विद्या परिषद् की अगली बैठक में विचार किया जाए।**

मद सं.8

विद्या परिषद की संस्तुति सं.7 दिनांक 31 जनवरी, 2009 तदनुसार एम.ए./एम.एससी. मनोविज्ञान पाठ्यक्रम की परीक्षा स्वयंपाठी छात्र के रूप में सत्र 2008-09 से अनुमत किए जाने के माननीय कुलपति महोदय के आदेश एवं विद्या परिषद द्वारा उसकी पुष्टि के अनुसरण में विश्वविद्यालय के अध्यादेश *175.(a)* को निम्नानुसार संशोधित करना :-

"(a) A non-collegiate candidate shall not be admitted to M.A. examination in (i) Drawing & Painting and (ii) Statistics ;"

शैक्षणिक-।

निर्णय **प्रस्तावित संशोधन स्वीकार करने की संस्तुति की।**

मद सं.9

अध्ययन बोर्ड एवं पाठ्यक्रम समितियों की बैठक के समय सदस्यों को अल्पाहार के स्थान पर वर्किंग लंच दिए जाने का विचार करना।

शैक्षणिक- ।।।

निर्णय **उक्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।**

मद सं.10

विद्या परिषद् की निर्णय संख्या 9 दिनांक 22 मई, 2006 के अनुसार विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रथम उपाधि स्तर पर कॅरियर ओरिएन्टेड कार्यक्रमों की योजना के सम्बन्ध में यू.जी.सी. के पत्र क्रमांक एफ.1-1/ 2005/योजना/सीओई दिनांक 17 अप्रेल, 2006 द्वारा सूचित किए गए संशोधनों की स्वीकृति के क्रम में उक्त योजना के दिशा-निर्देशों के निम्नांकित बिन्दु संख्या 5.11.1 के आधार पर निम्नांकित महाविद्यालयों द्वारा संयुक्त प्रमाणपत्र जारी किए जाने के निवेदन पर विचार करना :

शैक्षणिक-।।।

5-11-1 Issue of Certificate

"Any college interested in awarding the University Certificate must apply to the University well in advance and approval of the Academic Bodies will be required. Once the University approves the college proposal, the college will issue joint certificate with the name of the University and College."

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	कॅरियर ओरिएन्टेड पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम प्रमाण-पत्र का नाम
01	राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़	Data Care Management, BPO, Textile Chemistry	1-Certificate Course in Data Care Management 2-Certificate Course in Business Process Outsourcing 3-Certificate Course in Textile Chemistry
02	राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर	Functional English, Journalism, Fashion Designing	1. Certificate Course in Functional English 2. Certificate Course in Journalism 3. Certificate Course in Fashion Designing
03	एस.एम.एम. कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा	Bakery and Confectionary	Certificate Course in Bakery and Confectionary

निर्णय

प्रस्ताव के अनुसार संयुक्त प्रमाणपत्र जारी किया जाना स्वीकार किया तथा यह भी संस्तुति की कि, इसके लिए अध्यादेश भी बना लिया जाए।

मद सं.11

विद्या परिषद् की निर्णय संख्या 4 (iii) के परिशिष्ठ-1 में स्वीकृत प्रावधानों में से Group-I Courses : Courses in Computers शीर्षक के अन्तर्गत M.Sc. Computer Sc. and M.Sc. Information Technology पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता के लिए अधिकतम सीटों का निर्धारण करने पर विचार करना इसके अतिरिक्त निम्नांकित प्रावधान की व्यावहारिकता पर पुनः विचार करना

'Computer based courses shall also fulfill the norms of the AICTE. In case of discrepancy in seat allotment, the lower limit shall be followed and for faculty recruitment the AICTE guidelines shall be final.'

शैक्षणिक-।।

निर्णय

एम.एससी कम्प्यूटर साइंस और एम.एस.सी. इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता के लिए अधिकतम सीटों की संख्या 80 निर्धारित की गई तथा इन पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विज्ञान संकाय के लिए निर्धारित शिक्षकों

	की योग्यता के अनुसार निर्धारित रखे जाने की संस्तुति की ।	
मद सं.12 **निर्णय**	प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद की बैठकों में सदस्यों को देय सिटिंग चार्जेज (Sitting charges) की राशि में बढ़ोतरी करने और अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति की बैठकों में सदस्यों के लिए सिटिंग चार्जेज (Sitting charges) की राशि निर्धारित करने पर विचार करना। **इस प्रस्ताव पर विचार स्थगित किया गया।**	**शैक्षणिक-।**
मद सं.13 **निर्णय**	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक एफ.14-5/2008/सीपीपी-।। अगस्त 2008 (**कार्यसूची का परिशिष्ट-45**) के साथ संलग्न कर भेजे गए पूर्व पत्र क्र. एफ.1-1/2004 सीओपी दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 (**कार्यसूची का परिशिष्ट-46**) में वर्णित निम्नांकित पाठ्यक्रमों को स्वीकृत करने पर विचार करना एवं इन तीनों पाठ्यक्रमों को विज्ञान संकाय के अन्तर्गत रखते हुए इनकी परीक्षा योजना और अन्य प्रावधानों की अनुशंषा हेतु इन पाठ्यक्रमों को पर्यावरणीय विज्ञान पाठ्यक्रम समिति को आवण्टित करने पर विचार करना : (i) Certificate Course in Watershed Technology/ Management (ii) Diploma Course in Watershed Technology/ Management (iii) Advance Diploma in Watershed Technology/ Management **उक्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।**	**शैक्षणिक-।।।**
मद सं.14 **निर्णय**	प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र एफ. 1(32)आरबी/2008/96 दिनांक 7 जनवरी, 2009 द्वारा प्रेषित Approach Paper एवं उस पर प्राप्त स्नातकोत्तर संकायाध्यक्ष और समाज विज्ञान के संकायाध्यक्षों की टिप्पणी क्रमशः पत्र दिनांक 14 मार्च, 2009 (**कार्यसूची का परिशिष्ट-47**) एवं पत्र दिनांक 16 फरवरी, 2009 (**कार्यसूची का परिशिष्ट-48**) पर विचार करना। **संस्तुति की कि, विश्वविद्यालय में 'अन्तर्विषयक विकास अध्ययन केन्द्र' की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार एवं प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और साँस्कृतिक अवस्थाओं का शोधपरक अध्ययन और विकास की योजनाएँ बनाने का कार्य हो। छात्र आवाधिक प्रतिवेदन तैयार करें, जिन्हें राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, अन्य गैर-राजकीय संस्थान एवं विकास की अन्य संस्थाओं को भिजवाया जा सके। केन्द्र के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का भी प्रावधान किया जाए। विकास अध्ययन केन्द्र के पूरे स्वरूप एवं अन्य मानदण्ड प्रस्तावित करने हेतु निम्नांकित समिति का गठन किया जाता है :-** **1. स्नातकोत्तर अध्ययन संकायाध्यक्ष - प्रो. एम.एल. छीपा - संयोजक** **2. समाजविज्ञान संकायाध्यक्ष - प्रो. आर.जी. जोशी** **3. प्रो. के.सी. शर्मा, विभागाध्यक्ष, पर्यावरणीय अध्ययन विभाग** **4. प्रो. मनोज कुमार, विभागाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन** **5. श्री जी.एन.माहेश्वरी, सहा. कुलसचिव (शैक्षणिक-।।।), सदस्य सचिव**	**शैक्षणिक-।।।**

मद सं.15	विद्या परिषद की संस्तुति संख्या 3(9) दिनांक 22 मई, 2006 की अनुपालना में प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय को प्रेषित किए गए पत्र क्र. एफ(14)शैक्ष.।।/मदसवि/2006/311-13 दिनांक 23फरवरी, 2006 में शास्ति की जो कार्यवाही सत्र 2005-06 के लिए की जाने हेतु सूचित की गई थी, उसी कार्यवाही को आगामी वर्षों में भी यथावत् रखने की संस्तुति, विद्या परिषद् की बैठक दिनाक 25.5.2007 की संस्तुति संख्या 2 के निर्णय संख्या 3(9) के प्रेषण पर की गई थी। इसके अनुसार नवीन विषय/पाठ्यक्रम सम्बद्धता प्राप्त किए बिना प्रारम्भ करने एवं/अथवा आवण्टित सीटों से अधिक प्रवेश दिए जाने की स्थिति में शास्ति स्वरूप शिक्षण शुल्क और प्रवेश शुल्क की जो राशि विश्वविद्यालय कोष में सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा जमा करानी थी, वह केवल उस वर्ष के लिए ही वसूल करने का निर्णय था जिस वर्ष में महाविद्यालय द्वारा वर्णित कार्यवाही की गई हो। उक्त प्रावधान को उस पाठ्यक्रम के पश्चात्वर्ती वर्षों में भी विश्वविद्यालय कोष में जमा कराए जाने का प्रावधान किए जाने पर विचार करना।	**शैक्षणिक-।।**
निर्णय	**संस्तुति की कि-** **1. सत्र 2005-06 में नवीन विषय/पाठ्यक्रम सम्बद्धता प्राप्त किए बिना प्रारम्भ करने एवं/अथवा आवण्टित सीटों से अधिक प्रवेश दिए जाने की स्थिति में शास्ति स्वरूप शिक्षण शुल्क और प्रवेश शुल्क की राशि जिस पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में एक वर्ष के लिए वसूल की गई थी वह राशि उस पाठ्यक्रम के पश्चात्वर्ती वर्षों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय कोष में जमा कराने हेतु संबंधित महाविद्यालय को निर्देशित किया जाए।** **2. ऐसे सम्बद्ध महाविद्यालय (राजकीय/निजी) जो नवीन विषय / पाठ्यक्रम सम्बद्धता प्राप्त किए बिना एवं/अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आवण्टित सीटों से अधिक प्रवेश देने के आदी हों, उन्हें चिह्नित करके महाविद्यालय संकायाध्यक्ष के नेतृत्व में जाँच दल गठित किया जाए और इस प्रकार की पुनरावृत्ति करने वाले महाविद्यालयों की सम्बद्धता समाप्त करने की प्रक्रिया की जाए।** **3. ऐसे महाविद्यालयों एवं अन्य सभी महाविद्यालयों जिनका निरीक्षण चल रहा है, उनके निरीक्षकों को यह निर्देशित किया जाए कि वे निरीक्षण करते समय महाविद्यालय के प्राचार्य और सचिव से यह प्रमाणपत्र प्राप्त करें कि वे विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवण्टित सीटों से अधिक किसी छात्र को प्रवेश नहीं देंगे और न ही विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किए बिना उन्होंने कोई नया विषय प्रारम्भ किया है।** **4. ऐसे महाविद्यालय जिन्होंने आवण्टित सीटों से अधिक छात्रों को प्रवेश देकर विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानदण्डों के विरुद्ध कार्य किया है उनके इस कृत्य की भर्त्सना की जानी चाहिए।** **5. सभी महाविद्यालयों को यह निर्देशित किया जाए कि वे अपने महाविद्यालय के पाठ्यक्रमवार आवण्टित सीटों की संख्या के अनुसार सत्र 2009-10 के प्रवेश की अन्तिम तिथि के तुरन्त बाद प्रविष्ठि छात्रों की संख्या की सूचना उपकुलसचिव (शैक्षणिक-।।) को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।**	

मद सं.16 — **शोध अनुभाग**

विश्वविद्यालय के अध्यादेश 124.8(ix)(c) एवं 124.9(i)A(5) के प्रावधान में निम्नानुसार प्रस्तावित संशोधन करने पर विचार करना :

Ordinance 124.8(ix) (c) :-

Existing Provision	Proposed Amendment
The expert nominated by the Vice Chancellor in the SRC Concerned	The Expert nominated by the Vice Chancellor

Ordinance 124.9(i) A(5) :-

Existing	Proposed Amendment
One expert nominated by Vice Chancellor out of the panel of six experts proposed by the Head of the Department or the Convenor Board of Studies as the case may be.	One expert nominated by Vice Chancellor.

निर्णय

अध्यादेश 124.8(ix)(c) में प्रस्तावित संशोधन स्वीकार करने की संस्तुति की। अध्यादेश 124.9(i)A(5) में संशोधन निम्नानुसार किए जाने की संस्तुति की :

One expert nominated by the Vice Chancellor out of the panel of eight experts proposed by the Head of the Department or the Convenor, Board of Studies as the case may be. In case the expert so nominated does not turn up or otherwise under any emergency the Vice Chancellor may nominate any other person as expert.

मद सं.17 — **शैक्षणिक-।।।**

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 12 सितम्बर, 2008 की संस्तुति संख्या 3 के निर्णय संख्या 22 पर निम्नांकित प्रेक्षण, जो प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 6 दिनांक 13.10.2008 द्वारा अनुमोदित है :

> **''अध्ययन बोर्डों के गठन को ध्यान में रखते हुए विद्या परिषद् ने अन्तरिम संस्तुति की, कि कुलपति महोदय निम्नांकित मानदण्डों पर अध्ययन बोर्ड का गठन करें :**
>
> **1. तीन स्नातकोत्तर शिक्षक**
>
> **2. दो स्नातक शिक्षक**
>
> **3. दो बाह्य सदस्य**
>
> **स्नातकोत्तर शिक्षक एवं स्नातक शिक्षक एक ही महाविद्यालय से न हो, जिस महाविद्यालय से इन शिक्षकों का मनोनयन किया जाता है, उस महाविद्यालय से उस विषय के वरिष्ठ शिक्षक का मनोनयन किया जाए।''**

उक्त निर्णय को निम्नानुसार संशोधित करने पर विचार करना :

> **''अध्ययन बोर्डों के गठन को ध्यान में रखते हुए विद्या परिषद् ने अन्तरिम संस्तुति की कि, कुलपति महोदय सामान्यतः निम्नांकित मानदण्डों पर अध्ययन बोर्डों का गठन करें :**
>
> **1. तीन स्नातकोत्तर शिक्षक**
>
> **2. दो स्नातक शिक्षक**
>
> **3. दो बाह्य सदस्य**

स्नातक शिक्षक के स्थान पर स्नातकोत्तर महाविद्यालय के शिक्षक भी बोर्ड के सदस्य बनाए जा सकेंगे।

निर्णय	**उक्त निर्णय को निम्नानुसार संशोधित स्वीकृत किया :** **अध्ययन बोर्डों के गठन को ध्यान में रखते हुए विद्या परिषद् ने अन्तरिम संस्तुति की कि, कुलपति महोदय सामान्यतः निम्नांकित मानदण्डों पर अध्ययन बोर्डों का गठन करें :** **1. तीन स्नातकोत्तर महाविद्यालय के शिक्षक** **2. दो स्नातक महाविद्यालय के शिक्षक** **3. दो विषय विशेषज्ञ, बाह्य सदस्य** **स्नातक शिक्षक के स्थान पर स्नातकोत्तर महाविद्यालय के शिक्षक भी बोर्ड के सदस्य बनाए जा सकेंगे।**	
मद सं.18	माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करना : (i) <u>प्रतिवेदन है कि</u>, शिक्षा संकाय के संकायाध्यक्ष की अनुशंषानुसार बी.एड. परीक्षा 2009 हेतु मुद्रित पाठ्यक्रम में निम्नानुसार संशोधन करते हुए कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.13( )शैक्ष.।।।/ मदसवि/ 2009/16386 दिनांक 2.4.2009 जारी किया गया : 1. पृष्ठ सं. 10 पर Paper-VIII Computer Education में प्रदर्शित अंक योजना बाह्य परीक्षा, 50 अंक आन्तरिक परीक्षा दो टैस्ट 10 + 10 अंक तथा प्रायोगिक कार्य 20 अंक व प्रोजैक्ट कार्य, 10 अंक अर्थात् कुल अंकों का योग 100 अंक सही है। 2. इसी प्रकार, पृष्ठ सं. 61 पर Paper-VIII Computer Education (Theory)-50 **अंक** **Internal –** (i) Two Test Each - 10 Marks = 20 (ii) Project - 10 Marks = 10 (iii) Practical - 20 Marks = 20 **योग = 100**	**शैक्षणिक-।।।**
निर्णय	**प्रतिवेदित आदेशों की पुष्टि की ।**	
	(ii) <u>प्रतिवेदन है कि</u>, बी.एड. परीक्षा, 2009 हेतु मुद्रित पाठ्यक्रम को निम्नानुसार संशोधित करते हुए कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.13 (1)शैक्षणिक/मदसवि/2008/7767 दिनांक 30.1.2009 जारी किया गया : 1. पृष्ठ संख्या 61 पर मुद्रित Paper 19 Computer Education को पृष्ठ संख्या 10 पर प्रदर्शित Scheme of Examination के तहत् Paper-VIII Computer Education पढ़ा जावे। 2. पृष्ठ संख्या 63 पर मुद्रित Paper 20 Method of Teaching Drawing & Painting को Paper 19 पढ़ा जावे।	**शैक्षणिक-।।।**
निर्णय	**प्रतिवेदित आदेशों की पुष्टि की ।**	

<table>
<tr><td></td><td>(iii)<u>प्रतिवेदन है कि</u>, एम.ए. इतिहास (उत्तरार्द्ध) परीक्षा 2009 हेतु मुद्रित पाठ्यक्रम के ग्रुप-सी Modern Indian History में प्रश्न पत्र का गलत नाम निम्नानुसार संशोधित करते हुए कार्यालय आदेश क्रमांक एफ. 13( )शैक्ष./मदसवि/2009/16022-261 दिनांक 1.4.2009 जारी किया गया :
<table><tr><th>क्र. सं.</th><th>मुद्रित पाठ्यक्रम में प्रश्न पत्र का त्रुटिपूर्ण नाम</th><th>Hard Print Copy के अनुसार मुद्रित पाठ्यक्रम में होना चाहिए</th></tr><tr><td>01</td><td>II (a) Archival Studies
VIII(b)Gandhian Philosophy</td><td>VIII (a) Archival Studies
OR
VIII (b) Gandhian Philosophy</td></tr></table></td><td>शैक्षणिक-।।।</td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>प्रतिवेदित आदेशों की पुष्टि की ।</td><td></td></tr>
<tr><td>मद सं.19</td><td>विशेषाधिकारी,उच्च शिक्षा, (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.3(17)शिक्षा-4/2007 दिनांक 16.04.2009 (कार्यसूची का परिशिष्ट-49) के साथ संलग्न अवर सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ.3-1/2000(पीएस)पी/एच दिनांक 19 मार्च, 2009 (कार्यसूची का परिशिष्ट-50) में वर्णित 5 प्रतिशत अंकों की छूट दिए जाने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन पर निर्णय करना।</td><td>संस्थापन एवं शैक्षणिक-।।</td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>निर्णय किया कि तद्नुसार सम्बन्धित अध्यादेशों में संशोधन अनुमोदनार्थ प्रबन्ध बोर्ड को प्रस्तुत कर दिए जाएँ।</td><td></td></tr>
<tr><td>मद सं.20</td><td>राजकीय महाविद्यालय, अजमेर परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक द्वारा स्थानीय सम्बद्ध महाविद्यालयों के परीक्षार्थियों से उनकी परीक्षा का प्रवेश पत्र देने से पहले 50/- रू. प्रति परीक्षार्थी अनाधिकृत शुल्क लिए जाने की शिकायतों का संज्ञान लेकर कुलपति महोदय के आदेशानुसार केन्द्राधीक्षक, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर को परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक एफ. ( )परीक्षा/ मदसविवि/2009/1895 दिनांक 12.03.2009(कार्यसूची का परिशिष्ट-51) में दिये गये निर्देश की अवज्ञा करने और उसके पत्र के उत्तर में प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर द्वारा भेजे गये पत्र एफ.2( ) अकादमी/जीसीए/2009/2310 दिनांक 13.03.2009 (कार्यसूची का परिशिष्ट-52) में किये गये उल्लेख पर विचार कर उक्त परीक्षा केन्द्र के संबंध में निर्णय करना।</td><td>परीक्षा नियंत्रक</td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया।</td><td></td></tr>
<tr><td>मद सं.21</td><td>विद्या परिषद की बैठकों में सदस्यों को देय सिटिंग चार्जेज (Sitting Charges) की राशि में बढ़ोतरी करने और अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति, विषय शोध समिति, उप शोध समिति की बैठकों में सदस्यों के लिए सिटिंग चार्जेज(Sitting Charges) की राशि निर्धारित करने पर विचार करना।</td><td>शैक्षणिक-। एवं विवले</td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>प्रस्ताव प्रबन्ध बोर्ड के निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाए।</td><td></td></tr>
</table>

मद सं.22	अध्यादेश 124.12(i) में यह प्रावधान है कि शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के 6 माह पूर्व शोध निदेशक 04 प्रतियों में किए गए कार्य का सारांश प्रस्तुत करेगा और संबंधित विषय के कम से कम आठ विशेषज्ञों की एक तालिका भी प्रस्तुत करेगा। इस प्रावधान में प्रायः यही होता है कि शोध निदेशक प्रायः एक ही विशेषज्ञों के नाम पुनः पुनः प्रेषित कर देते हैं और प्रायः एक ही विशेषज्ञ अनेक शोधार्थियों की मौखिक परीक्षा के लिए परीक्षक नियुक्त हो जाते हैं। अतः इस प्रावधान के स्थान पर अन्य प्रावधान किए जाने पर विचार करना।	**शोध**
निर्णय	**सम्बन्धित अध्यादेश में निम्नांकित बिन्दुओं का समावेश करते हुए संशोधित अध्यादेश प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाएँ :** **1. 12 विशेषज्ञों की तालिका शोध पर्यवेक्षक प्रस्तुत करेंगे।** **2. आवश्यकता होने पर कुलपति तालिका में दिए गए विशेषज्ञों से अतिरिक्त विशेषज्ञ की नियुक्ति भी कर सकेंगे।**	
मद सं.23	अध्यादेश 124.13(i) में यह प्रावधान है कि, शोध प्रबन्ध के परीक्षक, शोध प्रबन्ध प्राप्त होने के दो माह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। यह देखने में आया है कि, शोध परीक्षकों की नियुक्ति के पश्चात् परीक्षक, शोध सारांश का मूल्यांकन करने की अपनी सहमति विलम्ब से प्रस्तुत करते हैं और शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन का प्रतिवेदन दो माह से अधिक अवधि के बाद प्रस्तुत करते हैं। अतः इस प्रावधान में यह प्रस्तावित है कि - (क) जिस परीक्षक की शोध सारांश के मूल्यांकन हेतु नियुक्ति की जाती है, वे अपनी सहमति 15 दिन की अवधि में फैक्स द्वारा अथवा लिखित में अवश्य प्रस्तुत करें। (ख) जो परीक्षक शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन करने हेतु नियुक्त होता है वे शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन समयबद्धता से 2 माह की अवधि में निर्धारित प्रपत्रों में करके मूल्यांकित शोध प्रबन्ध के साथ अपना मूल्यांकन प्रतिवेदन निदेशक (शोध) को पहुँचाना सुनिश्चित करें। (ग) शोधोपाधि के लिए मौखिक परीक्षा के लिए नियुक्त परीक्षक को नियुक्ति की सूचना प्राप्त होने के अधिकतम दो माह के अन्तर्गत मौखिक परीक्षा के आयोजन की तिथि सुनिश्चित कर दें।	**शोध**
निर्णय	**उपर्युक्त प्रस्ताव को निम्नानुसार स्वीकार करने की संस्तुति की और यह भी संस्तुति की कि तद्नुसार संबंधित अध्यादेश में संशोधन का प्रस्ताव प्रबंध बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाए :-** **(क) जिस परीक्षक की शोध सारांश के मूल्यांकन हेतु नियुक्ति की जाती है, वे नियुक्ति पत्र की प्राप्ति के 15 दिन की अवधि में अपनी सहमति लिखित में निदेशक (शोध) को अवश्य प्रस्तुत करेंगे।** **(ख) जो परीक्षक शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन करने हेतु नियुक्त होता है, वह नियुक्ति पत्र की प्राप्ति की दिनांक से 2 माह की अवधि में निर्धारित प्रपत्रों में शोध प्रबंध का मूल्यांकन समयबद्धता से करके मूल्यांकित शोध प्रबन्ध के साथ अपना मूल्यांकन प्रतिवेदन निदेशक (शोध) को प्रस्तुत करेंगे।** **(ग) शोधोपाधि के लिए मौखिक परीक्षा के लिए नियुक्त परीक्षक को नियुक्ति की सूचना प्राप्त होने के अधिकतम दो माह के अन्तर्गत मौखिक परीक्षा के**	

	आयोजन की तिथि सुनिश्चित कर दें। **(घ) शोध प्रबंध मूल्यांकन हेतु प्रेषित करने के बाद एक माह की अवधि में संबंधित परीक्षक को निदेशक (शोध) ध्यानाकर्षण पत्र भिजवायेंगे।**	
मद सं.24 **निर्णय**	विश्वविद्यालय के शिक्षकों की शैक्षणिक उत्कृष्टता को सम्मानित किए जाने की दृष्टि से ऐसे शिक्षक, जिनके शोध आलेख Nature, Harward Business Review और EPW जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हों, उन्हें विश्वविद्यालय निधि से सम्मानजनक पारितोषिक दिए जाने पर विचार करना। **संस्तुति की कि विश्वविद्यालय और सम्बद्ध महाविद्यालयों, अनुमोदित संस्थाओं के शिक्षकों की शैक्षणिक उत्कृष्टता को सम्मानित किए जाने की दृष्टि से ऐसे शिक्षक, जिनके शोध आलेख Nature, नामक पत्रिका में या Harward Business Review पत्रिका में प्रकाशित होगा, उन्हें विश्वविद्यालय की ओर से एक प्रमाण-पत्र और राशि रू.20000/- सम्मानजनक पारितोषिक के रूप में दी जाए। इसी प्रकार, जिस शिक्षक का शोध आलेख Economic and Political Weekly पत्रिका में प्रकाशित होगा, उन्हें प्रमाण पत्र के साथ सम्मानजनक पारितोषिक के रूप में राशि रू.5000/- दी जाए।**	**संस्थापन**
मद सं.25 **निर्णय**	विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में कम्प्यूटर के अनुप्रयोग की क्षमता के लिए दो प्रकार के पाठ्यक्रम क्रमशः पहला- 6 माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और दूसरा- एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने पर विचार करना। यह पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग द्वारा संचालित होगा। इस पाठ्यक्रम की अवधि दो घण्टे की होगी जिसमें अध्ययन कार्यालय समय के पश्चात् हो सकेगा। विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी/अधिकारी इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करना चाहेंगे उन्हें अध्ययन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होगी। इस पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। **संस्तुति की कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में कम्प्यूटर के अनुप्रयोग की क्षमता विकसित करने के लिए दो प्रकार के पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग द्वारा कार्यालय समय के पश्चात् चलाए जायें। एक पाठ्यक्रम 60 घण्टे की अवधि का हो, जिसकी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को एक प्रमाणपत्र और राशि 500/- दी जाए। दूसरा पाठ्यक्रम 120 घण्टे की अवधि का हो, जिसकी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को एक डिप्लोमा के साथ राशि रू.1000/- दी जाए। विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी/अधिकारी इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करना चाहें उन्हें अध्ययन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जावे। जिससे विश्वविद्यालय में कम्प्यूटरीकरण को बढ़ावा मिल सके।**	**संस्थापन, शैक्षणिक।।। एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग**
मद सं.26	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों के ऐसे नियमित छात्र, जिनकी उस पाठ्यक्रम में कक्षाओं में उपस्थिति 100% रहती है, उनके प्राप्तांकों में 5% अंकों का लाभ (weightage) दिए जाने पर विचार करना। ऐसे छात्रों की 100% उपस्थिति के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष अथवा सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा उस छात्र के परीक्षा में प्रविष्ठ होने से पूर्व विश्वविद्यालय के परीक्षा नियन्त्रक को प्रस्तुत करना होगा।	**परीक्षा**

निर्णय	**संस्तुति की कि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित सभी ऐसे पाठ्यक्रम जो सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित नहीं हैं, के ऐसे छात्र, जिनकी उस पाठ्यक्रम में कक्षाओं में उपस्थिति 100% रहती है, तो इस उपस्थिति को महत्व देते हुए उनके प्राप्तांकों में 5% अंकों का लाभ (weightage) दिया जाये। इसके लिए विश्वविद्यालय परिसर में संचालित सभी पाठ्यक्रमों के लिए "कॉमन उपस्थिति पंजिका" संधारित की जाये। यह निर्णय सत्र 2010 के सैमेस्टर से प्रभावी किया जावे।**	
मद सं.27	विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के लिए नियुक्त ऐसे प्रश्नपत्र निर्माता जिन्होंने प्रश्नपत्र का निर्माण पूरी यथार्थता (accuracy) एवं समयबद्धता से किया है, उन्हें दिए गए कार्य का निष्पादन पूरी यथार्थता और कर्त्तव्यनिष्ठा से करने का प्रशंसापत्र दिए जाने पर विचार करना।	**परीक्षा एवं विवले**
निर्णय	**संस्तुति की कि विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के लिए नियुक्त ऐसे प्रश्नपत्र निर्माता, जिन्होंने प्रश्नपत्र का निर्माण पूरी यथार्थता (accuracy) एवं समयबद्धता से किया है, उन्हें कार्य का निष्पादन पूरी यथार्थता और कर्त्तव्यनिष्ठा से करने का प्रशंसापत्र दिया जाएगा तथा प्रश्नपत्र निर्माताओं को उनके पारिश्रमिक का भुगतान विश्वविद्यालय में प्रश्नपत्र प्राप्त होते ही कर दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाये कि 30 सितम्बर तक सभी प्रश्न पत्र निर्माताओं का भुगतान हो चुका है।**	
मद सं.28	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के अर्द्धशासकीय पत्र क्र.एफ. 1-2/2009 (XI Plan) दिनांक 21.4.2009 द्वारा प्रेषित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सुधार की कार्य-योजना पर विचार करना।	**शैक्षणिक-।।।**
निर्णय	**संस्तुति की कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा प्रेषित शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधार की कार्य-योजना के आधार पर सैमेस्टर प्रणाली, Choice Based Credit System, Curriculum Development, प्रवेश प्रक्रिया और परीक्षा सुधार के सुझावों को लागू करने के लिए कुलपति महोदय एक समिति का गठन करें।**	
मद सं.29	माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक में विचारार्थ प्रश्न पत्र शिकायत निवारण समिति की दिनांक 08.04.09 को सम्पन्न हुई बैठक की अनुशंषाओं को प्रस्तुत किया गया।	**परीक्षा नियंत्रक**
निर्णय	**प्रस्तुत अनुशंषाओं को परिशिष्ट-1 में निम्नांकित संशोधन के साथ स्वीकार करने की संस्तुति की :-** **<u>1(स)3 :</u>** **अंक गणितीय गणनाएं जिन-जिन विषयों से संबंधित आती है तथा उनमें टंकण त्रुटि के द्वारा उत्तर का परिणाम प्रभावित होता है तो ऐसी स्थिति में विशेषज्ञ की राय के अनुसार बोनस अंक देय होंगे। शेष यथा प्रस्तावित।**	

विद्या परिषद् की आगामी बैठक का आयोजन दिनांक 25 मई, 2009 को मध्याह्न 12.30 बजे बृहस्पति भवन में होगा।

अन्त में अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक का समापन हुआ।

कुलपति **कुलसचिव**